



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



प्रो. (डॉ.) कृपाशंकर चौबे

Prof. (Dr.) Kripa Shankar Chaubey

अध्यक्ष, जनसंचार विभाग

Head, Department of Mass Communication

पत्रांक : 26/2004/ज.वि./1682/2024

दिनांक : 20.08.2024

### सूचना

जनसंचार विभाग के बी.ए. पत्रकारिता एवं जनसंचार, षष्ठम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परियोजना कार्य अपने शोध निदेशक से अग्रेषित कराकर 22 अगस्त, 2024 तक विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें। उसके उपरांत परियोजना कार्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परियोजना कार्य की मौखिकी 27.08.2024 को अपराह्न 4.00 बजे सत्रे सभाकक्ष, समता भवन में होगी। सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(अध्यक्ष)

प्रतिलिपि:

1. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध के साथ)



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



प्रो. (डॉ.) कृपाशंकर चौबे

Prof. (Dr.) Kripa Shankar Chaubey

अध्यक्ष, जनसंचार विभाग

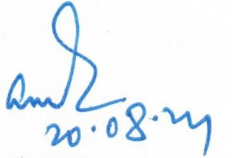
Head, Department of Mass Communication

पत्रांक : 26/2004/ज.वि./1681/2024

दिनांक : 20.08.2024

### सूचना

जनसंचार विभाग के एम.ए. जनसंचार, चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परियोजना कार्य अपने शोध निदेशक से अग्रेषित कराकर 22 अगस्त, 2024 तक विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें। उसके उपरांत परियोजना कार्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परियोजना कार्य की मौखिकी 27.08.2024 को पूर्वाह्न 10 बजे सप्रे सभाकक्ष, समता भवन में होगी। सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

  
20.08.24  
(अध्यक्ष)

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध के साथ)